अध्याय -I : सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रूझान

1.2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका–1.1** में दर्शाये गये हैं।

तालिका–1.1 : राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	97,393.00	1,20,121.86	1,22,825.83	1,19,897.30	1,47,367.74
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**13.29**	**23.34**	**2.25**	**(-) 2.38**	**22.91**
	• करेतर राजस्व	19,794.86	30,100.71	81,705.08	11,846.15	11,435.97
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**(-) 31.60**	**52.06**	**171.44**	**(-) 85.50**	**(-) 3.46**
	योग	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**	**1,31,743.45**	**1,58,803.71**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	1,20,939.14	1,36,766.46	1,17,818.30	1,06,687.01	1,60,358.05[1]
	• सहायता अनुदान	40,648.45	42,988.48	44,043.97	57,745.87	51,849.62[2]
	योग	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**	**1,64,432.88**	**2,12,207.73**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**	**2,96,176.33**	**3,71,011.44**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**42**	**46**	**56**	**44**	**43**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में अ–कर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य लेखा–शीर्ष–0005–केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032–सम्पत्ति पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर, 0045–वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, एवं लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़ों को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 8,299.42 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

ऊपर की तालिका यह इंगित करती है कि 2017-22 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 11.88 प्रतिशत एवं 20.59 प्रतिशत रही थी। राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 20.54 प्रतिशत की वृद्धि रही थी।

वर्ष 2021-22 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.1

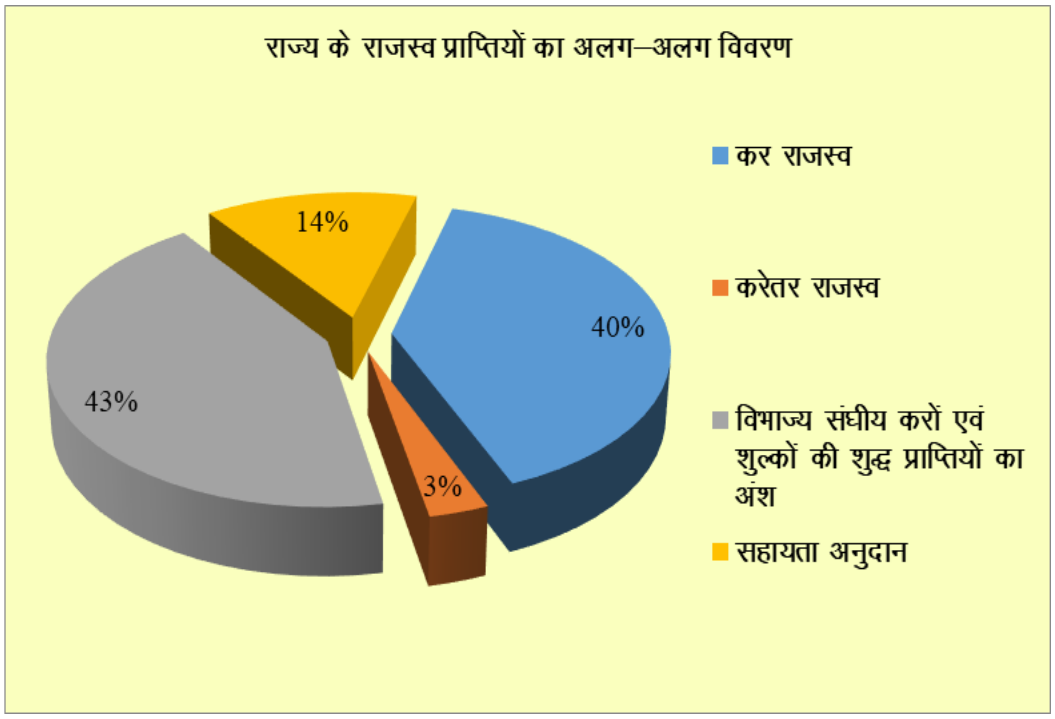

1.2.2 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर राजस्व का विवरण **तालिका–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका–1.2 : कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2021-22 का ब0अ0	2020-21 का वास्तविक
1	बिक्री व्यापार आदि पर कर	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	28,287.00 22,127.06	31,100.00 27,058.17	(-) 13.00	(+) 22.29
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)	28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	63,281.00 42,860.03	73,285.00 54,594.12	(-) 25.50	(+) 27.38
2	राज्य आबकारी	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	37,500.00 30,061.21	41,500.00 36,319.63	(-) 12.48	(+) 20.82
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	23,197.00 16,475.24	25,500.00 20,048.25	(-) 21.38	(+) 21.69

(₹ करोड़ में)								
क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2021-22 का ब0अ0	2020-21 का वास्तविक
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	8,650.00 6,482.65	9,350.00 7,775.82	(-) 16.84	(+) 19.95
5	अन्य[3]	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	5,106.00 1,891.11	5,610.00 1,571.75	(-) 71.98	(-) 16.89
योग		**1,11,501.90 97,393.00**	**1,22,700.00 1,20,121.86**	**1,40,176.00 1,22,825.83**	**1,66,021.00 1,19,897.30**	**1,86,345.00 1,47,367.74**	**(-) 20.92**	**(+) 22.91**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

वर्ष 2021–22 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.2

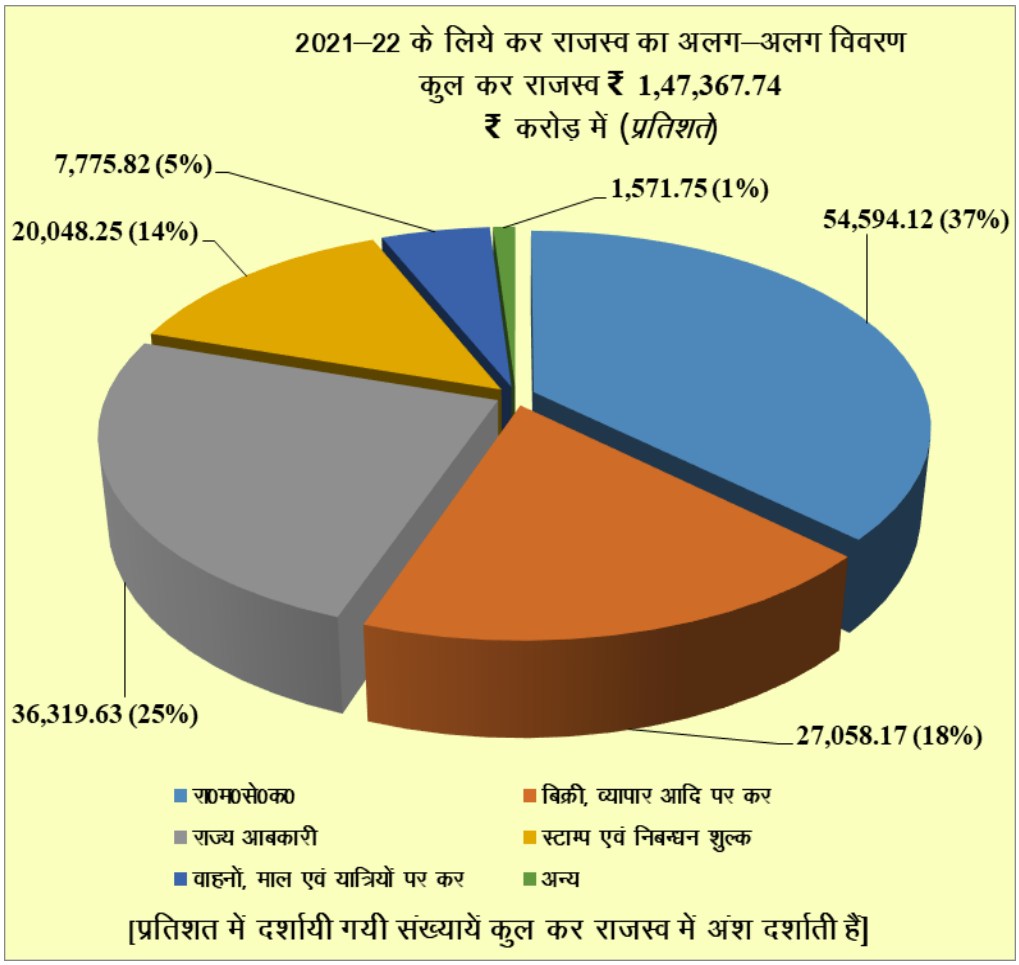

[3] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2021-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 22.91 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर' (रा0मा0से0क0) (₹ 11,734.09 करोड़ द्वारा), 'राज्य आबकारी' (₹ 6,258.42 करोड़ द्वारा), 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹ 4,931.11 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 3,573.01 करोड़ द्वारा), तथा 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 1,293.17 करोड़ द्वारा) की वृद्धि के कारण थी।

- वर्ष 2021-22 के दौरान रा0मा0से0क0 संग्रह में ₹ 11,734.09 करोड़ की वृद्धि हुई। रा0मा0से0क0 संग्रह में वृद्धि का मुख्य कारण रा0मा0से0क0 और एकीकृत माल एवं सेवा कर (ए0मा0से0क0) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्रास–उपयोग (₹ 6,312.72 करोड़ द्वारा), ए0मा0से0क0 के विभाजन से रा0मा0से0क0 के कर घटक का स्थानान्तरण (₹ 1,960.01 करोड़ द्वारा) और अन्य लघु शीर्ष में अन्तरण की प्रतीक्षा के अन्तर्गत प्राप्तियाँ (₹ 5,862.88 करोड़ द्वारा) से अधिक प्राप्तियां थीं। यद्यपि, लघु शीर्ष 101-कर (रा0मा0से0क0) के अन्तर्गत ₹ 1,958.14 करोड़ की कम प्राप्तियाँ थीं।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 4,931.11 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 515.34 करोड़ द्वारा) और मूल्य संवर्धित कर (₹ 4,328.76 करोड़ द्वारा) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

- 'राज्य आबकारी' में वृद्धि देशी आसव (₹ 3,633.94 करोड़), माल्ट मदिरा (₹ 827.97 करोड़) और मदिरा (₹ 1,724.49 करोड़) की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

- 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेत्तर स्टाम्प की अधिक बिक्री (₹ 3,629.12 करोड़) एवं निबन्धन दस्तावेज़ों के शुल्क से अधिक प्राप्तियाँ (₹ 502.00 करोड़) थीं। यद्यपि, न्यायिक स्टाम्प के बिक्री से प्राप्तियाँ (₹ 589.52 करोड़) कम थी।

- 'वाहनों पर कर' की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों (₹ 1,689.47 करोड़) के शुद्ध प्रभाव के कारण थी।

1.2.3 वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान वसूले गये करेतर राजस्व का विवरण **तालिका–1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.3 : करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	की तुलना में वर्ष 2021-22 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2021-22 का ब0अ0	2020-21 का वास्तविक
1	ब्याज प्राप्तियाँ	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	2,100.00 1,115.55	2,100.00 1,249.77	(-) 40.49	(+) 12.03
2	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	4,000.00 3,112.74	4,500.00 2,655.48	(-) 40.99	(-) 14.69
3	विद्युत	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	3,537.00 1,308.99	3,749.00 1,768.50	(-) 52.83	(+) 35.10
4	मध्यम सिचाई	987.90 8,33.69	988.73 777.98	1,000.00 872.42	1,060.00 1,014.95	1,102.00 1,032.77	(-) 06.28	(+) 01.76
5	सड़क एवं सेतु	900.00 365.92	950.00 932.13	1,000.00 706.81	1,560.00 997.34	6,654.00 640.27	(-) 90.38	(-) 35.80
6	पुलिस	424.00 422.96	445.20 467.80	522.00 427.61	653.41 458.04	693.00 590.72	(-) 14.76	(+) 28.97
7	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[4]	7,676.47 9,124.18	15,894.13 17,309.52	18,335.96 75,003.73	18,262.52 3,838.54	6,623.67 3,498.46	(-) 47.18	(-) 08.86
योग		**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**30,632.96** **81,705.08**	**31,178.93** **11,846.15**	**25,421.67** **11,435.97**	**(-)** **55.01**	**(-)** **03.46**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

[4] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व का पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैंः विविध सामान्य सेवाएं, आवास, लोक निर्माण, स्टेशनरी और मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, ग्राम और लघु उद्योग, वानिकी और वन्य जीवन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी विकास आदि।

वर्ष 2021-22 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3

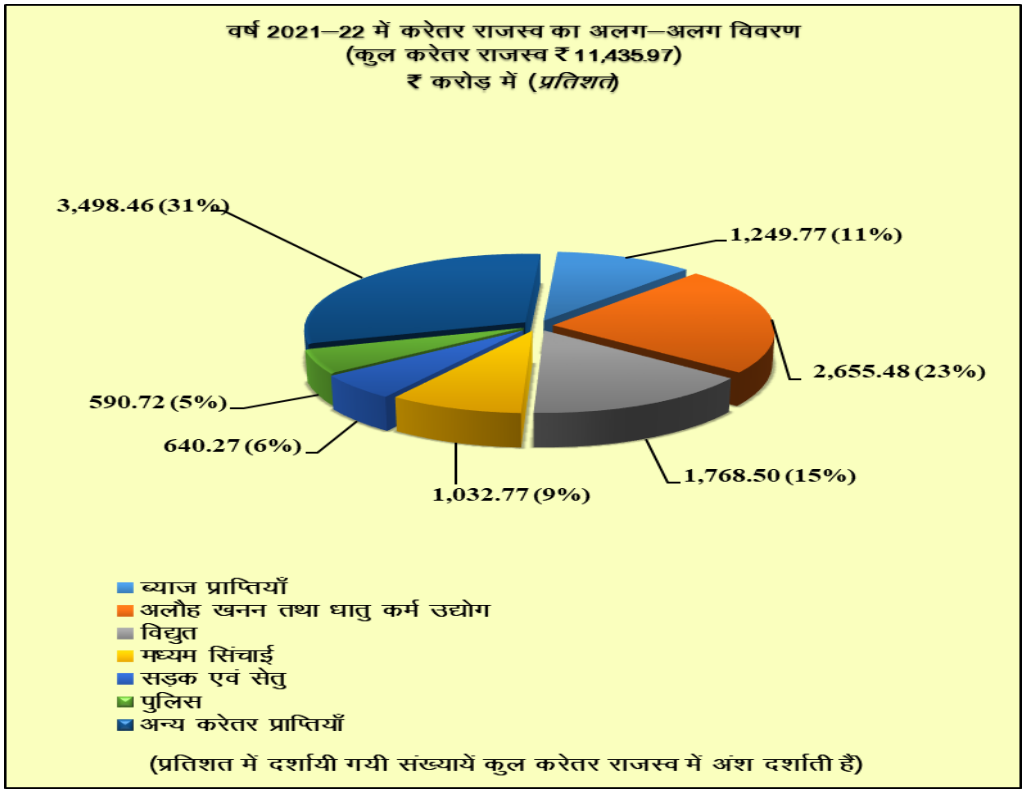

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के दौरान करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर 3.46 प्रतिशत धनराशि ₹ 410.18 करोड़ की कमी हुई, जो कि मुख्य रूप से शीर्ष 'अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग' के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 457.26 करोड़ द्वारा), 'सड़क एवं सेतु' के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 357.07 करोड़ द्वारा) एवं अन्य करेतर प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 340.08 करोड द्वारा) के कारण थी।
- 'अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्ति में कमी खनिज रियायत शुल्क, किराए और रायल्टी (₹ 372.31 करोड़) से कम प्राप्तियों के कारण थी।
- राजस्व लेखा शीर्ष 'विद्युत' के अन्तर्गत 35.32 प्रतिशत की वृद्धि ग्रामीण विद्युतीकरण में अधिक प्राप्तियों (₹ 458.81 करोड़) के कारण थी।
- 'सड़क और सेतु' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति में कमी अन्य प्राप्तियों जैसे सरकारी घाटों से प्राप्तियाँ, स्थापना व्ययों की प्राप्तियाँ आदि (₹ 360.97 करोड़) से कम प्राप्ति के कारण थी।
- 'पुलिस' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि अन्य सरकारों को आपूर्ति की गई पुलिस से प्राप्तियाँ (₹ 120.42 करोड़) और अन्य प्राप्तियाँ (₹ 11.91 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

- 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति में कमी अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत कम प्राप्ति (₹ 213.34 करोड़) के कारण थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व के मध्य व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ तालिका 1.2 और 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुति 1:

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यर्थाथवादी बनाने हेतु अपने बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिए।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का बकाया 31 मार्च 2022 तक ₹ 37,082.23 करोड़ था, जिसमें से ₹ 15,142.67 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक अवधि का था, जैसा कि **तालिका 1.4** में वर्णित है।

तालिका–1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ मे)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	36,073.60	14,961.52	₹ 36,073.60 करोड़ में से, ₹ 8,492.26 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 3,629.64 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र अन्य राज्यों को भेजे गये थे; ₹ 6,614.28 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 2,613.38 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी; ₹ 8,635.14 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था; और ₹ 83.38 करोड़ ट्रांसपोर्टरों पर बकाया था। शेष ₹ 6,005.52 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही चल रही थी।
2.	राज्य आबकारी	52.95	52.95	₹ 52.95 करोड़ में से, ₹ 31.39 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 15.83 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी और ₹ 5.73 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था।

(₹ करोड़ मे)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	538.04	128.20	₹ 538.04 करोड़ में से ₹ 127.99 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था;₹ 233.10 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 8.26 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी; ₹ 1.08 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था। शेष ₹ 167.61 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही चल रही थी।
4.	वाहनों पर कर	417.64	विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।	₹ 417.64 करोड़ में से, ₹ 209.09 करोड़ की माँग को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 5.31 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 0.08 करोड़ की वसूली की माँग हेतु बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था। शेष ₹ 203.16 करोड़ की धनराशि हेतु कार्यवाही विभाग स्तर पर लम्बित थी।
5.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।		निदेशालय स्तर पर विभाग के पास बकाया का विवरण उपलब्ध नहीं था।
योग		**37,082.23**	**15,142.67**	

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

31 मार्च 2022 तक बकाया राजस्व का विवरण **चार्ट–1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.4

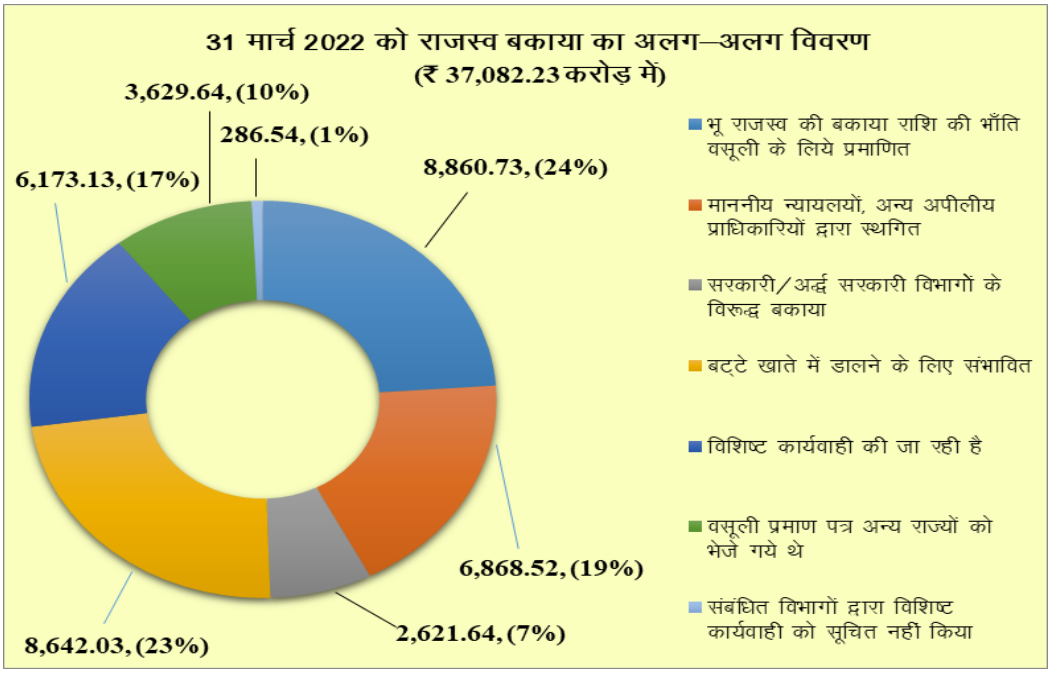

कुल बकाया ₹ 37,082.23 करोड़ की धनराशि में से, ₹ 8,860.73 करोड़ को भू–राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था, ₹ 6,868.52 करोड़ माननीय न्यायालयों, अन्य अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्थगित किया गया था, ₹ 2,621.64 करोड़ सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया था। ₹ 8,642.03 करोड़ को बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था, ₹ 6,173.13 करोड़ के लिए वाणिज्यिक कर विभाग और स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में विशिष्ट कार्यवाही चल रही थी तथा अन्य राज्यों को ₹ 3,629.64 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे जबकि शेष ₹ 286.54 करोड़ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत विशिष्ट कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया था।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए मदिरा के उत्पादन एवं बिक्री के मूल्य निर्धारण (राज्य आबकारी विभाग) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को छोड़कर वर्ष 2015-16 से 2020-21 के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पीएसी द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 एवं 2020-21 के राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (मई 2023) जिन्हें मई 2017 एवं फरवरी 2023 के मध्य राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका–1.5

क्रम सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रतिवेदन में प्रस्तरों एवं नि0ले0प0 की संख्या	प्रस्तरों एवं नि0ले0प0 की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों एवं नि0ले0प0 की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2016	18 मई 2017	25 + 1 नि0ले0प0	00	25 + 1 नि0ले0प0
2	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
3	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	08	00
4	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
5	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	12	11
6	31 मार्च 2020	17 दिसम्बर 2021	18	00	18
7	31 मार्च 2021 (परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)	22 फरवरी 2023	1 नि0ले0प0	00	1 नि0ले0प0
योग			**106 + 2 नि0ले0प0**	**20**	**86[5]+ 2 नि0ले0प0**

2017-18 से 2022-23 की अवधि के दौरान, लो0ले0स0 ने 28 राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से 835 के सापेक्ष 142 प्रस्तरों पर चर्चा की। विवरण **तालिका–1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6

क्रम सं0	वर्ष	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में प्रस्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रस्तरों की संख्या
1	2017-18	वर्ष के दौरान लो0ले0स0 की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई		
2	2018-19	13	384	74
3	2019-20	09	273	33
4	2020-21	01	26	03
5	2021-22	03	118	26
6	2022-23	02	34	06
योग		**28**	**835**	**142**

[5] वाणिज्यिक कर (21 प्रस्तर), राज्य आबकारी (13 प्रस्तर), परिवहन (21 प्रस्तर और 2 नि0ले0प0), स्टाम्प और निबन्धन (06 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (24 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (01 प्रस्तर)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

सितम्बर 2022 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2023 के अन्त तक 13,464 नि0प्र0 से सम्बन्धित 49,603 प्रस्तर लम्बित थे। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग–वार विवरण **तालिका–1.7** में दिया गया हैं।

तालिका–1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग–वार विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,357	27,239
		मनोरंजन कर	240	548
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,200	2,140
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,403	7,681
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,980	10,417
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	284	1,578
योग			**13,464**	**49,603**

नि0 प्र0 की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किए गए कुल 185 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को चार सप्ताह के अन्दर 17 नि0प्र0 के मामले में कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किये गये शेष 168 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख प्रतिवेदित किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने एवं इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमितताएं वर्ष–प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं, फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य ज़मीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुति 2:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये एक तन्त्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें और सुधारात्मक कार्यवाही करें।

1.6 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के पाँच विभागों[6] को समाविष्ट किया तथा मूल्य संवर्धित कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, भूतत्व एवं खनिकर्म, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 1,498 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 185 (12.35 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। वर्ष 2021-22 के दौरान इन पाँच विभागों में, ₹ 1,47,844.14 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 185 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 40,816.96 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया। 185 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी, जिससे 86,505 मामलों (3,41,447 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल मिलाकर ₹ 3,756.59 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें नि0प्र0 द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभागों ने (अप्रैल 2022 और जुलाई 2023 के मध्य) 18 मामलों में (पिछले वर्षों में बताए गए मामले शामिल) ₹ 2.96 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और छः मामलों में ₹ 5.42 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कर विभाग में **'माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर अनुपालन लेखापरीक्षा में ₹ 1,655.39 करोड़ की धनराशि के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण प्रकाश में आया। विभाग ने ₹ 1,247.97 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और ₹ 16.47 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

संस्तुति 3:

राज्य सरकार को एक तन्त्र विकसित करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाये।

1.7 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में **'वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के सात प्रस्तर शामिल हैं जिनमें ₹ 1,674.20 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

वाणिज्यिक कर विभाग ने **'माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी'** पर धनराशि ₹ 1,247.97 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं धनराशि ₹ 16.47 करोड़ की वसूली की सूचना दी। स्टाम्प एवं निबन्धन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने ₹ 2.73 करोड़ की धनराशि की लेखापरीक्षा

[6] वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं भूतत्व एवं खनिकर्म।

टिप्पणियों को स्वीकार किया। अन्य विभागों के उत्तर (जनवरी 2024) प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से V में की गयी है।

इंगित की गयी त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिये यह जाँच करने के लिये कि क्या समान त्रुटियाँ /चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह की त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिये शासन/विभाग के सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**